

## अखलि भारतीय न्यायकि सेवा

### प्रलिमिंस के लयि:

[अखलि भारतीय न्यायकि सेवा \(AIJS\), संघ लोक सेवा आयोग](#)

### मेन्स के लयि:

भारत में न्यायपालिका से संबंधति पहलें, भारतीय न्यायकि प्रणाली से संबंधति चुनौतियाँ

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायपालिका की वविधिता में वृद्धि करने हेतु उपेक्षति सामाजकि समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लयि अखलि भारतीय न्यायकि सेवा (All India Judicial Service- AIJS) की वकालत की।

## अखलि भारतीय न्यायकि सेवा (AIJS) क्या है?

### परचिय:

- यह सभी राज्यों में अतरिकित ज़िला न्यायाधीशों एवं ज़िला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों के लयि एक प्रस्तावति केंद्रीकृत भरती प्रणाली है।
- इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) मॉडल के समान न्यायाधीशों की भरती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्यों का कार्यभार सौंपना है।
  - वर्ष 1958 और 1978 की वधिआयोग की रपौर्टों की सफारिशों के अनुसार, AIJS का उद्देश्य अलग-अलग वेतन, रकितियों पर भरती और मानकीकृत राष्ट्रव्यापी प्रशकिषण जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है।
- संसदीय स्थायी समति ने वर्ष 2006 में अखलि भारतीय न्यायकि सेवा के समर्थन पर पुनर्वचार कयि।
- संवैधानकि आधार:
  - संवधान का अनुच्छेद 312 केंद्रीय सविलि सेवाओं के समान ही राज्यसभा के कम-से-कम दो-तहिई सदस्यों द्वारा समर्थति एक प्रस्ताव पर AIJS की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - हालाँकि अनुच्छेद 312 (2) में कहा गया है कि AIJS में ज़िला न्यायाधीश (अनुच्छेद 236 में परभाषति) से नीचे स्तर के कसि भी पद को शामिल नहीं कयि जा सकता है।
    - अनुच्छेद 236 के अनुसार, एक ज़िला न्यायाधीश के अंतरगत नगर सविलि न्यायालय का न्यायाधीश, अपर ज़िला न्यायाधीश, संयुक्त ज़िला न्यायाधीश, सहायक ज़िला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजसिट्रेट, अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजसिट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश हैं।

### आवश्यकता:

- AIJS न्यायाधीशों के चयन और प्रशकिषण का एक समान और उच्च मानक सुनश्चिति करेगा, जसिसे न्यायपालिका की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि होगी।
- AIJS नचिली अदालतों में न्यायाधीशों की रकितियों को भरेगा, वर्तमान में देश भर में नचिली न्यायपालिका में लगभग 5,400 पद रकित हैं और मुख्य रूप से राज्यों द्वारा नयिमति परीक्षा आयोजति करने में अत्यधिक देरी के कारण नचिली न्यायपालिका में 2.78 करोड़ मामले लंबति हैं।
- AIJS देश की सामाजकि संरचना को दर्शाते हुए वभिन्न क्षेत्रों, लयि, जातियों और समुदायों के न्यायाधीशों के प्रतनिधित्व एवं वविधिता को बढ़ाएगा।
- AIJS न्यायपालिका संबंधी नयुक्तियों में न्यायकि या कार्यकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम करेगा, जसिसे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनश्चिति होगी।
- AIJS प्रतभाशाली और अनुभवी न्यायाधीशों का एक समूह तैयार करेगा जिन्हें उच्च न्यायपालिका में नयुक्त कयि जा सकता है, जसिसे

न्यायाधीशों की भविष्य की संभावनाओं और उनकी गतिशीलता में सुधार होगा।

#### ■ वर्तमान स्थिति:

- प्रमुख हतिधारकों की इस संबंध में अलग-अलग राय के कारण वर्ष 2023 तक **AIJS पर कोई आम सहमत** नहीं है।
- यह AIJS की स्थापना के प्रस्ताव पर आम सहमत प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।

## वर्तमान में ज़िला न्यायाधीशों की भरती कैसे की जाती है?

- वर्तमान प्रणाली में **अनुच्छेद 233 और 234** शामिल हैं जो राज्यों को ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकार देते हैं, जिसका प्रबंधन राज्य लोक सेवा आयोगों और उच्च न्यायालयों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेता है और नियुक्ति के लिये उनका चयन करता है।
- नचिली न्यायपालिका के ज़िला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सविलि सेवा (न्यायिक) परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। PCS (J) को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है।
  - **अनुच्छेद 233 ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति** से संबंधित है। किसी भी राज्य में ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति **राज्य के राज्यपाल** द्वारा ऐसे राज्य पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
  - **अनुच्छेद 234** न्यायिक सेवा में **ज़िला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भरती** से संबंधित है।

## AIJS के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- यह **संघीय ढाँचे** और राज्यों व उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता का उल्लंघन होगा, जिनके पास अधीनस्थ न्यायपालिका को प्रशासित करने का संवैधानिक अधिकार एवं दायित्व है।
- इससे हितों का टकराव और न्यायाधीशों पर दोहरे नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न होगी, जो **केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के प्रति जवाबदेह** होंगे।
- यह वभिन्न राज्यों की स्थानीय वधियों, भाषाओं और रीति-रिवाजों की अवहेलना करेगा, जो न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज के लिये आवश्यक हैं।
- इसका असर **मौजूदा न्यायिक अधिकारियों** के मनोबल और प्रेरणा पर पड़ेगा, जो अपने कैरियर में उन्नति के अवसरों तथा प्रोत्साहन से वंचित रह जाएंगे।

## आगे की राह

- चिंताओं को दूर करने और AIJS के लिये समर्थन जुटाने हेतु राज्यों, उच्च न्यायालयों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ संवाद एवं परामर्श की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।
- इसके प्रभाव का आकलन करने और धीरे-धीरे चिंताओं को दूर करने के लिये चुनवि राज्यों में पायलट आधार पर AIJS को लागू करने पर विचार करना चाहिये।
- AIJS को लचीले तंत्र के साथ डिज़ाइन करना जो स्थानीय वधियों, भाषाओं तथा रीति-रिवाजों के अनुकूलन की अनुमति देता हो, क्षेत्रीय बारीकियों की उपेक्षा किये बिना प्रभावी कार्य पद्धति सुनिश्चित करना।
- एक पूर्णतः स्पष्ट परिभाषित संक्रमण अवधि का प्रस्ताव करना जिसके दौरान मौजूदा न्यायिक अधिकारी व्यवधानों को कम करते हुए नई प्रणाली को सहजता से अपना सकें।
- संघीय ढाँचे, स्वायत्तता तथा न्यायपालिका की प्रभावी कार्यप्रणाली पर AIJS के प्रभाव का आकलन करने तथा आवश्यकतानुसार आवश्यक समायोजन के लिये एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- AIJS के अंतर्गत एक प्रोत्साहन संरचना विकसित करना जो कैरियर में उन्नति से संबंधित चिंताओं का समाधान करते हुए मौजूदा न्यायिक अधिकारियों के योगदान को प्रेरित करे और मान्यता दे।

## वधिकि दृष्टिकोण

[अखलि भारतीय न्यायिक सेवाओं के बारे में वसितार से पढ़ें](#)

[www.drishtijudiciary.com](http://www.drishtijudiciary.com)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने नरिणय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा क उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। 150 शब्द (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/all-india-judicial-service-2>

